

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

अब्दुल ख़दमद बनाम फ़ह्येयालाल १९७०

केस संख्या ५४/२५

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>५ के मुद्दों का प्रश्न है उनके कायम मुकाम का ज़रफ़ना पत्र जारी द्वारा पेश किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में ज़रफ़ना पत्र ०७२११ अ.स. का कोई अंगित्व प्रतीत नहीं होता है इसीलिए ज़रफ़ना पत्र ०७२११ अ.स. का ख़ास किया जाता है। कायम मुकाम के ज़रफ़ना पत्र के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक ३०/०९/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p> <p>३०/९/२५ : पत्रावली पेश हुई। पकील ज़रफ़ना पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु सलवी/जवाब दिनांक ३१/११/२५ को पेश हो।</p> <p>३१/११/२५ पत्रावली पेश की गई। पकील ज़रफ़ना पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु सलवी/जवाब दिनांक ३१/११/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(शिवर प्रभारी) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>१५/१२/२२ - पत्रावली पेश हुई। पकील ज़रफ़ना पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु सलवी/जवाब दिनांक १५/१२/२२ को पेश हो।</p>

जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

सुपरगुड अर्थिकाबी जमनारागाड (जमपुर)

अकार कटनड बनाम कन्हैयालाल दत्त

48/2021

सौक आजा न कारागीरी	आजा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनने न पत्रपत्नी का किरायेदार बनने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को स्वीकार किया जाता है तथा केशरी रा 2 व 4 के बीले को रिफाई पर रिताम जाता है (संबोधित अण्डाग पत्रपत्नी में शामिल है)</p> <p>प्रार्थना पत्र 138 L.I. Act पर भी बहस सुनी गई। उक्त धारा 138 L.I. Act के तहत विचाराधीन है उक्त धारा के तहत किरायेदारों को सूचना देना ही पर्याप्त है) विचाराधीन भूमि का सीमाबद्ध हो चुका है। इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है उक्त साक्षर है।</p> <p>नोट: प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किरायेदार धारा 138 एल.आर.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विचाराधीन भूमि रकम 99।। इंधवा 0.3500 हेक्टेयर वॉक गाम गुवावरी तहसील जमनारागाड (जमपुर) पर भी किरायेदार अण्डाग का विवरण आदेश न होने तहसीलदार जमनारागाड को निर्देश दिखे जाते हैं कि वे उक्त भूमि की परंपरागती मुलाक़ात सीमाबद्ध के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।</p> <p>आदेश की प्रती तहसीलदार जमनारागाड को पालना एवं अंतिम आदेश पत्रपत्नी को न्याय सुना होगा।</p>	

AM

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (अपमू) या

अदरार कहरा बनाम C कन्हैयालाल श्री

संख्या/वर्ष

48/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

गम्हर से का हो वाड
 की वाकिल शहर हो
 के निवेदन आज दिनांक 14/02/2022
 के मुक्त न्यायालय सुनगापा बागा
 019

उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ